राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्र. 1262 मि.सं. / रास्वभामिग्रा / पंग्राविवि / 2019::   रायपुर, दिनांक 13/12/2019

प्रति,

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः— **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017—18 में की गई अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

संदर्भः— **आपका पत्र क्रमांक 3673 / 378 / 22—1 / 2017 अटल नगर, दिनांक 27 नवंबर, 2019।**

विषयांतर्गत आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 20—38 / 2019 / 25—2 / 8271 दिनांक 07 नवंबर, 2019 तथा आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली का अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 19014 / 08 / 2019—SCD-IV दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 के निर्देशों के अनुरूप Manual Scavenging से संबंधित बिन्दु क्रमांक 9.3.8 पर आवश्यक कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया है।

2/ तत्संबंध में लेख है कि Manual Scavenging Act से संबंधित अपेक्षित अधिसूचना पंचायत संचालनालय से जारी किया जाना उचित होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों द्वारा सेप्टिक टैंकों का निर्माण किया गया है, उन सेप्टिक टैंकों को खाली किए जाने के दौरान नियमों का पालन किए जाने एवं किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो इस हेतु आवश्यक सावधानियों के संबंध में जन—जागरूकता के लिए जिलों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1258 / मि.स. / रास्वभामिग्रा / पंग्राविवि / रायपुर दिनांक 13 दिसंबर, 2019 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।

Pandey

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

अब नही तो कब?

Scanned by CamScanner

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्र.1258 मि.सं./रास्वभामिग्रा/पंग्राविवि/2019:: रायपुर, दिनांक 13/12/19

प्रति,

1.कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधन समिति,
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),
समस्त जिला, छत्तीसगढ़

2.मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत एवं सदस्य सचिव, प्रबंधन समिति,
जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),
समस्त जिला, छत्तीसगढ़

विषयः– **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 में की गई अनुशंसाओं पर कार्यवाही के संबंध में।**

संदर्भः– **अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक 3673/378/22–1/2017 अटल नगर, दिनांक 27 नवंबर, 2019।**

विषयांतर्गत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 20–38/2019/25–2/8271 दिनांक 07 नवंबर, 2019 तथा आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली का अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 19014/08/2019–SCD-IV दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 के निर्देशों के अनुरूप संबंधित बिन्दु क्रमांक 9.3.8 पर आवश्यक कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन चाहा गया है।

2/ उक्त संबंध में लेख है कि राज्य की रणनीति के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित दो गड्ढे वाले लीच पिट शौचालयों का निर्माण किया गया है। तथापि विभिन्न परिवारों में पूर्व से ही सेप्टिक टैंक निर्मित थे/निर्मित किए गए हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सेप्टिक टैंक शौचालयों के भरने पर उन्हे खाली करने हेतु शहरी निकायों से संपर्क करके उपलब्ध साधनों/व्यवस्थाओं के उपयोग हेतु आवश्यक समन्वय एवं जन–जागरूकता संबंधित कार्यवाही करें। इसके साथ ही Manual Scavenging Act के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का पालन किए जाने के संबंध में सर्वसंबंधितों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करें।

(अनुराग पाण्डेय)
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

अब नही तो कब?

Scanned by CamScanner

पृ.क्र. 1213 मि.सं. / रास्वभामिग्रा / पंग्राविवि / 2019, रायपुर, दिनांक 13/12/19

प्रतिलिपिः—

निज सचिव, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

अब नही तो कब?

Scanned by CamScanner